संचिका संख्याः—4प / स०—10—19 / 2025 / 10409 / पं०रा०

ई—मेल / स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मो० वसीम अहमद, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 14/7/2026

विषयः— **स्थानांतरित पंचायत सचिवों को विरमित करने के संबंध में।**

प्रसंगः— **विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—99—सह—पठित ज्ञापांक 2117 दिनांक 09.02.2026, पत्रांक 6885 दिनांक 06.05.2026 एवं पत्रांक 8016 दिनांक 25.05.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्थानांतरित पंचायत सचिवों को नवपदस्थापित जिला में योगदान हेतु विरमित करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। परन्तु कई जिलों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—99—सह—पठित ज्ञापांक 2117 दिनांक 09.02.2026 द्वारा स्थानांतरित पंचायत सचिवों को अब तक उनके नवपदस्थापित जिला में योगदान हेतु विरमित नहीं किया गया है।

अतः उक्त विभागीय आदेश द्वारा स्थानांतरित वैसे पंचायत सचिवों जिन्हें अब तक विरमित नहीं किया गया है, को दिनांक 14.07.2026 तक उनके नवपदस्थापित जिला में योगदान हेतु विरमित करना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 14.07.2026 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में वैसे पंचायत सचिव दिनांक 15.07.2026 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे। स्थानांतरित पंचायत सचिवों को जुलाई, 2026 माह का वेतनादि का भुगतान उनके नवपदस्थापित जिला से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

13/07/2026

(मो० वसीम अहमद)
अपर सचिव

ज्ञापांकः—4प / स०—10—19 / 2025 / 10409 / पं०रा०, पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपिः— सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/07/2026.

(मो० वसीम अहमद)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–4प/स०–10–19/2025/10409/पं०रा०, पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

13/07/2026

(मो० वसीम अहमद)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–4प/स०–10–19/2025/10409/पं०रा०, पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/07/2026

(मो० वसीम अहमद)
अपर सचिव